



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 10.06.2026

थाना थरियांव पुलिस द्वारा थाना थरियांव क्षेत्रांतर्गत छिनैती की दो घटनाओं से संबंधित अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से ₹ 3500/- नकद बरामद ।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी थरियांव के कुशल नेतृत्व में थाना थरियांव पुलिस द्वारा छिनैती की दो घटनाओं से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.05.2026 को वादी राजेन्द्र पुत्र स्व० सीताराम निवासी ग्राम असवा बक्शपुर थरियांव जनपद फतेहपुर द्वारा थाना थरियांव पर दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 102/2026 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया तथा दिनांक 19.05.2026 को वादिनी मिठाना देवी पत्नी स्व० रामनरेश निवासी ग्राम हसवा (पासिनपुरवा), थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 108/2026 धारा 309(4)/115(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया है।

गिरफ्तारी का विवरण- उपरोक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण तथा प्रभावी सुरागरसी/पतारसी के क्रम में प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त मुकदमें से संबंधित प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त गुलाम नट उपरोक्त को दिनांक 09.06.2026 को थाना थरियांव पुलिस टीम द्वारा ग्राम हसवा मदरसा के पास थाना थरियांव जनपद फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया—

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गुलाम नट पुत्र हुकूम अली नि० नगरा थाना हथगाव जनपद फतेहपुर उम्र 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1. 3500/- रुपये नगद ।

गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 10.06.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त गुलाम नट पुत्र हुकूम अली निवासी नगरा, थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर के कब्जे से ₹3,500/- बरामद हुए। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों तहसीम नट एवं असर नट के साथ मिलकर सुनसान स्थानों पर अकेली महिलाओं को निशाना बनाकर उनके सोने-चांदी के आभूषण लूटता/छीनता था। अभियुक्त ने दिनांक 10.05.2026 एवं 17.05.2026 को हसवा क्षेत्र में महिलाओं से आभूषण छीनने की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसने बताया कि लूटे गए आभूषणों को बेचकर प्राप्त धनराशि का आपस में बंटवारा किया गया था, जिसमें से शेष ₹3,500/- उसके पास बचे थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त गुलाम नट पुत्र हुकूम अली का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 108/2026 धारा 309(4)/115(2) बीएनएस थाना थरियांव जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 102/2026 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस थाना थरियांव जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 236/25 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना असोथर जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 238/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना असोथर जनपद फतेहपुर
5. मु0अ0सं0 348/25 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर
6. मु0अ0सं0 383/25 धारा 304(2),317(2),61(2)(A) बीएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 कुमार मौर्या थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर
2. व0उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह
3. हे0का0 उबैदउल्ला
4. का0 अकित यादव
5. का0 अवनीश यादव

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर

